

कार्यालय नगरपरिषद् झालावाड (राज.)

क्रमांक: न.परि.झा./भू0रू0/2021/ 329

दिनांक: 19-4-21

::आदेश::

भूरूपान्तरण शाखा

विषय :- भूखण्डों के पट्टे जारी करने बाबत।

राजस्व ग्राम गोपालपुरा के खसरा नं. 490/46, 489/46,488/45, 49(पुराना) 570/490, 568/489, 566/488 एवं 49(नया) स्थित आर के एनक्लेव-II आवासीय कॉलोनी में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक रोके हुए हैं। आवेदकगण श्री मनोज कुमार लालवानी पुत्र श्री राजकुमार लालवानी, श्रीमती कोमल लालवानी पत्नी श्री मनोज कुमार लालवानी एवं श्री जगदीश चन्द मेहर पुत्र श्री मोहन लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, फोटोग्राफ्स एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.11.2015 की अनुपालना में गठित स्थानीय निकाय स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 7913 दिनांक 23/3/21 द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा रिपोर्ट आधार पर परिषद् द्वारा राजस्व ग्राम गोपालपुरा के खसरा नं. 490/46, 489/46,488/45, 49(पुराना) 570/490, 568/489, 566/488 एवं 49(नया) स्थित आर के एनक्लेव-II आवासीय कॉलोनी में परिषद् द्वारा जो 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को मुक्त/रिलीज करते हुए उनमें नियमानुसार राशि शुल्क जमा करवा कर पट्टे जारी किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।


अयुक्त
नगरपरिषद् झालावाड